

(17)

पत्र सं०-9/व०क्ष०पदा० (आ०)-35/2019।877 व० प०राँची, दिनांक.....09/07/2020

**झारखण्ड सरकार**  
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

प्रेषक,

विनय कुमार दास,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची।

**विषय:-** श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र मेदिनीनगर, वन प्रमंडल (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयके संबंध में कहना है कि श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र मेदिनीनगर, वन प्रमंडल (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक-2794 दि०-19.08.2019 द्वारा प्राप्त विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव के आलोक में विभागीय ज्ञापन संख्या-815 दिनांक-04.03.2020 द्वारा श्री महेश प्रसाद, सेवानिवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त विभागीय पत्र एवं गठित आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र एवं आरोप पत्र को विभागीय Websit-"forest.jharkhand.gov.in" पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

09/07/2020

(विनय कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

## कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002. - 0651-2481909 (T) / 2480413 (F) email - pccf-jhk@gov.in



पत्रांक : नि०को 90/208 - 2794 दिनांक : 19/8/19

पर मुख्य सचिव  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
झारखण्ड सरकार, रांची।

श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत्त) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का पत्रांक 2075 दिनांक 29.07.2019 द्वारा श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 के नियम 43 के अधीन विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव संलग्न कर भेजा जा रहा है।

2. श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर दिनांक 31.05.2018 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

3. संलग्न प्रस्ताव में श्री प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमशः ₹02,90,721.25 तथा ₹04,85,797.00 यानि कुल ₹07,76,518.25 का लेखा समर्पित नहीं करने का आरोप है।


4. ज्ञातव्य होगा कि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा निवृत्त के ऊपर पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाइयों की स्थिति विभागीय पत्रांक 4660 दिनांक 20.11.2018 में प्रेषित है, जिसके अनुसार श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित कुल छः विभागीय कार्यवाइयों में से 02 विभागीय कार्यवाइयों में दण्ड का अधिरोपण किया जा चुका है, शेष 03 मामलों में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो राज्य सरकार के अधीन समीक्षाधीन है तथा एक मामला में जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

5. चूंकि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी दिनांक 31.05.2018 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं एवं उनके पेंशन आदि का अंतिम निस्तारण का मामला अभी लम्बित है, अतः राज्य सरकार संलग्न प्रस्ताव के अनुसार झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 के अधीन एक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए इसे तथा पूर्व से लम्बित 04 विभागीय कार्यवाइयों का शीघ्र निष्पादन करना चाहेगी ताकि श्री प्रसाद के पेंशन-आदि के अंतिम निष्पादन पर निर्णय शीघ्र लिया जा सके।  
अनु. - यथोक्त।

आपका विश्वासी

20/8/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
झारखण्ड, रांची।





# कार्यालय-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू ।

वन भवन, कचहरी रोड, मेदिनीनगर -822101.

Tel.-06562-222100 /8987790231 Email-rccf\_pal@rediffmail.com/rccfpalamu@jharkhandmail.gov.in

सेवा में,

पत्रांक-2075 दिनांक 29/07/2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत्त) के विरुद्ध कैम्पा योजना अंतर्गत कराए गए कार्यों का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में विभागीय कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंग:-

भवदीय के कार्यालय का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 2416, दिनांक 15.07.2019

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत्त) के विरुद्ध कैम्पा योजना अंतर्गत खबदा स्थायी पौधशाला एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू का आवास-सह-कार्यालय की मरम्मत कार्य अंतर्गत कुल 7,76,518.25 (सात लाख छिहत्तर हजार पांच सौ अठारह रु० पच्चीस पैसे) की राशि का वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 का लेखा समर्पित नहीं करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव प्रपत्र 'क' में गठित करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*Mohammed*  
29.7.2019  
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू, मेदिनीनगर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
मानव प्रसाधन विभाग

झारखण्ड, राँची

पत्रांक-1854  
दिनांक 01.08.19

**झारखण्ड सरकार,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।**

**प्रपत्र-‘क’**

पदाधिकारी का नाम	—	श्री महेश प्रसाद।
पदनाम	—	वन क्षेत्र पदाधिकारी (सेवा निवृत्त)।
श्रेणी	—	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)।
वेतनमान	—	9300.00—34800.00, ग्रेड पे—4200.00
पदस्थापन कार्यालय	—	तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

क्र० सं०	आरोप	आरोप की विवरणी	साक्ष्य																				
1	2	3	4																				
1	7,76,518.25 रु० सरकारी राशि का लेखा समर्पित नहीं करना।	<p>वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र को कैम्पा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में रबदा स्थायी पौधशाला में रख-रखाव हेतु निम्नवत राशि उपलब्ध कराई गई :-</p> <table border="1"> <tr> <th>क्र० सं०</th><th>चेक सं०</th><th>राशि</th><th>काय विवरण</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> <tr> <td>1</td><td>003056 दि० 19.01.2015</td><td>321350.00</td><td>रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु</td></tr> <tr> <td>2</td><td>003107 दि० 31.03.2015</td><td>264168.00</td><td>रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल राशि</td><td>585518.00</td><td></td></tr> </table> <p>उपरोक्त राशि रु० 585518/- का लेखा वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित किये जाने के पश्चात माह फरवरी 2015 में जाचोंपरान्त 294796.75 रु० का लेखा वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समायोजित किया गया तथा शेष 290721.25 रु० का लेखा त्रुटिपूर्ण होने के कारण समायोजित नहीं किया गया।</p> <p>इस बीच झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या रा०व०से०(स्था०) 07/2015-3871 व०प० दिनांक 20.</p>	क्र० सं०	चेक सं०	राशि	काय विवरण	1	2	3	4	1	003056 दि० 19.01.2015	321350.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु	2	003107 दि० 31.03.2015	264168.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु	कुल राशि		585518.00		1. माँग पत्र की छायाप्रति (अनु०-01)।
क्र० सं०	चेक सं०	राशि	काय विवरण																				
1	2	3	4																				
1	003056 दि० 19.01.2015	321350.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु																				
2	003107 दि० 31.03.2015	264168.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु																				
कुल राशि		585518.00																					

07.2015 द्वारा श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के स्थान पर श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, का पदस्थापन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के रूप में किया गया। श्री मुण्डा द्वारा दिनांक 27.07.2015 के अपराहन में प्रभार ग्रहण किया गया। श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा नव पदस्थापित वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्री मुण्डा को श्री महेश प्रसाद द्वारा समर्पित त्रुटिपूर्ण लेखा सुधार कर समर्पित करने हेतु कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू के पत्रांक 1313 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा भेजा गया (छायाप्रति संलग्न), जिसे श्री मुण्डा, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू श्री महेश प्रसाद को प्रमण्डलीय कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015 द्वारा भेजा गया (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त राशि का त्रुटिरहित लेखा समर्पित करने हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को निर्देश दिया, परन्तु लेखा सुधार कर वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

इस बीच माह अप्रैल 2015 से ही खबदा स्थायी पौधशाला में समापन/सम्पोषण कार्य निरंतर चलते रहने के कारण प्रतिबद्ध दायित्व (Committed Liability) का सृजन हो जाने के कारण इस कार्य के लिए अंततः कुल 405797.00 रुपये का चेक नये वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्री एन0सी0एस0 मुण्डा द्वारा

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू का पत्रांक 1313 दिनांक 24.08.2015  
अनु0-02

प्रमण्डलीय कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015  
अनु0-03

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016  
अनु0-04A & 4B

प्रतिबद्ध दायित्वों के सृजन और कार्यों की समीक्षा के उपरान्त मार्च 2015 में वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को दिया गया। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र पदाधिकारी को उनके जर्जर पड़े वन क्षेत्र पदाधिकारी आवास, मनातू की मरम्मत हेतु 80000.00 रु० निम्नवत चेक के द्वारा दिये गये :-

क्र० सं०	चेक सं०	राशि	काय विवरण
1	2	3	4
1	012172 दि० 16.02.2016	80000.00	आवास मरम्मत हेतु
2	012179 दि० 15.03.2016	200000.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु
3	012154 दि० 29.03.2016	205797.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु
कुल राशि		485797.00	

इस प्रकार वर्ष 2015-16 में आवास मरम्मत एवं रबदा स्थायी पौधशाला में कार्य सम्पन्न करने हेतु वन अग्रिम के रूप में 485797.00 रु० वन क्षेत्र पदाधिकारी को दिया गया। परन्तु दी गयी राशि का लेखा वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा (वित्तीय वर्ष 2014-15 की असमायोजित राशि 290721.25 रु० तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में दी गयी राशि 485797.00 रु०) कुल राशि 776518.25 रु० कैम्पा खाता में जमा करने हेतु वन क्षेत्र पदाधिकारी को निर्देश दिया गया तथा अनेको बार स्मारित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा न तो लेखा समर्पित किया गया न ही कैम्पा खाता में 776518.25 रु० जमा किया गया।

वर्तमान वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 18.07.2019 तथा 20.07.2019 को उपरोक्त राशि से कराये गये कार्यों की जांच की गयी। जांचोपरान्त जांच प्रतिवेदन वन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन

	<p>प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा उनके ज्ञापांक <u>2679</u> दिनांक <u>25.07.2019</u> द्वारा जांच प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। जांच के क्रम में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा पाया गया कि स्थायी पौधशाला में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में दी गयी राशि से नियमानुसार कार्य हुआ है तथा किसी भी मजदूर की मजदूरी बकाया नहीं है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा मनातू वन क्षेत्र कार्यालय की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्गत राशि 80000.00 रु० से कराये गये कार्यों की भी जांच की गयी तथा जांच के क्रम में पाया गया कि निर्गत राशि से नियमानुसार कार्य सम्पन्न किया गया है। परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया है।</p> <p>इस बीच दिनांक 19.07.2019 को श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र (अब सेवा निवृत्त), श्री एन०सी०एस० मुण्डा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (अब वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल) तथा श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (वर्तमान में वन प्रमण्डल पदाधिकारी-सह-निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग) को इस मामले में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर द्वारा जांच हेतु बुलाया गया। इस जांच के क्रम में सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए परन्तु मौका दिए जाने के बावजूद श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी (अब सेवा निवृत्त) द्वारा उक्त 776518.25 रुपये का लेखा न तो समर्पित किया गया और न ही लेखा समर्पित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सका। इस प्रकार श्री महेश प्रसाद,</p>	<p>प्रमण्डल का ज्ञापांक 2679 दिनांक 25.07.2019 की छायाप्रति संलग्न (अनु०-05)।</p>
--	--	---

		तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र द्वारा 776518.25 रुपये का लेखा समर्पित नहीं किया गया है।	
2	उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करना।	<p>श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, 2278 दिनांक 15.05.2017, 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 द्वारा 776518.25 रु० कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया, लेकिन आदेश का पालन वन क्षेत्र पदाधिकारी, श्री महेश प्रसाद द्वारा नहीं किया गया।</p> <p>इस प्रकार श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू वन प्रक्षेत्र ने न तो लेखा समर्पित किया और न ही उनके पक्ष में अवशेष राशि को कैम्पा खाता में जमा किया।</p> <p>अतः श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र के द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करना सरकारी सेवक अचार नियमावली 1976 के धारा 3 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है।</p>	<p>वन प्र०पदा० मे० वन प्रमण्डल का पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 की छायाप्रति संलग्न (अनु९-6A, 6B, 6C &amp; 6D)।</p>
3	कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना।	<p>श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा खबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव एवं आवास मरम्मत हेतु कैम्पा खाता में 776518.25 रु० की राशि दी गयी, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया। श्री प्रसाद को उपरोक्त राशि कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा उपरोक्त राशि कैम्पा खाता में जमा नहीं की गयी। उन्हें राशि कैम्पा खाता में जमा करने हेतु अनेकों बार स्मारित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा न तो लेखा</p>	<p>वन प्र०पदा० मे० वन प्रमण्डल का पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 की छायाप्रति संलग्न (अनु९-6A, 6B, 6C &amp; 6D)।</p>



	<p>समर्पित किया गया और न ही राशि कैम्पा खाता में जमा किया गया।</p> <p>अतः यह साफ दर्शाता है कि श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतते रहे।</p>	
--	---	--

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किये जाते हैं :-

1. 776518.25 रु0 सरकारी राशि का लेखा समर्पित नहीं करना।
2. उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करना।
3. कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना।

आदेश :-

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (अब सेवा निवृत्त) को आदेश दिया गया है कि उपरोक्त वर्णित आरोपों के संबंध में पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उचित माध्यम से समर्पित करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध एकतरफा निर्णय लेते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तारण कर दिया जायेगा।

अनु0-साक्ष्य तालिका।

<p><i>U/M</i> 29/07/19</p> <p>वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।</p>	<p><i>U/M</i> 29/7/19</p> <p>वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।</p>	<p><i>U/M</i> 29.7.2019</p> <p>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर।</p>	<p><i>U/M</i> 31/8/19</p> <p>प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची।</p>	<p><i>U/M</i> 4/3/2020</p> <p>सरकार के सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची।</p>
---	---	--	---	--

## साक्ष्य तालिका।

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू वन प्रक्षेत्र के विरुद्ध फर्जी प्रमाणक बनाकर कैम्पा योजना का 776518.25 रु0 राशि गबन करने के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का साक्ष्य तालिका।

अनु0 संख्या	पत्रांक, दिनांक	विवरण
1	2	3
1	दिनांक 17.01.2015	माँग पत्र की छायाप्रति।
2	1313 दिनांक 24.08.2015	छायाप्रति संलग्न।
3	पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015	छायाप्रति संलग्न।
4	पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016	छायाप्रति संलग्न।
5	ज्ञापांक 2679 दिनांक 25.07.2019	छायाप्रति संलग्न।
6	पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017	छायाप्रति संलग्न।

पत्रांक 29/02/15  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

पत्रांक 29/7/19  
वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
मेदिनीनगर।

पत्रांक 29.7.2019  
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक 29/7/15  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, रांची।

सरकार के उप सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं  
जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड, रांची।

The Range Officer of Forests.  
Range.

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDININAGAR FOREST DIVISION

Sir,

महोदय जी, मैं आपका, का २२५ - २८०५५.

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work Rahla - 1. Hec.	Amount Sanctioned	Amount Available	Amount Proposed be spent now
1	2	3	4
1. एक ३८५२.११ २०९ ६.११/११	26,560=50	26,560=50	26,560=50
2. एक ३६० ६०० का कोना ३६० ३००/०३	63,745=20	63,745=20	63,745=20
3. एक ३८५२.११ का कोना ३८५२.११/११	3,752.99=84	3,752.99=84	1,62,624=78
4. एक ३८५२.११ का कोना ३८५२.११/११	11,991=84	11,991=84	4,821=51
5. एक ३८५२.११ का कोना ३८५२.११/११			3,01,350=0

I beg to add that have a cash balance or Rs. 147 in my hand to day in receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

Yours faithfully  
16.1.196

Range Officers of Forests  
Range.

Memo No ..... / Dated .....

has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. 25056 dated 15.1.1962 for Rs. 3,01,350. The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDININAGAR FOREST DIVISION

16

To  
The Range Officer, Forest  
Mandla Range

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDININAGAR FOREST DIVISION.

Sir

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current  
Expenditure in my Range as below:-

31/3/15

Particulars of Work	amount sanctioned	Amount available	Amount proposed be spent now.
1. Maintenance of Current year / \$ Airera work ways machines.	2	3	4
			1,52,475.00
			071702 =
			2,64175 =

I beg to add that have a cash balance of Rs. .... in my hand to day on receipt of the  
amount of the usual advance will be submitted.

Yours faithfully,

Mandla Range

Range Officers of Forests,  
Mandla Range.

Memo No. .... / Dated. ....

Has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. ....

Dated 31/3/15 for Rs. 264175/- (Rs. Two Lakhs Sixty Four Thousand One Hundred and Seventy Five only). The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

Divisional Forest Officer,  
Medininagar Forest Division.

Received

Cheque

No. A4 303107

Dated 31/3/15 for

Range Officers of Forests,  
Mandla Range.

FOR THE ADVANCE OF  
FOR CURRENT EXPENDITURE

2015-16 (24)

The Range Officer of Forests,  
*Mangra Forest* Range.

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDINAGAR FOREST DIVISION

Sir

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below -

Particulars of Work	Amount Sanctioned	Amount Available	Amount Proposed be spent now
1	2	3	4
R.F.O. Gunter Repairing Mangra			80,000 =
<div style="position: relative; height: 200px;"> <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; transform: rotate(-30deg);"> <p>Issue cheque for Rs 80,000/-</p> <p>15-02-16</p> <p>Divisional Forest Officer Medinagar Forest Division, Medinagar</p> </div> </div>			
			80,000 =

I beg to add that have a cash balance or Rs. 127 in my hand to day in receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

Your's faithfully  
*Mohesh Prasad*  
Range Officers of Forests,  
*Mangra Forest* Range.

Memo No ..... / Dated ..... /  
has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. 512172 dated 16-02-16 for 80,000/-  
(Rs. Eighty thousand only) The Range Officer is requested to return with  
his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

DIVISIONAL FOREST OFFICER  
MEDINAGAR FOREST DIVISION  
Medinagar Forest Division, Medinagar

Received Cheque No-A/ ..... Dated ..... for .....  
Rs. .... only

*Mohesh Prasad*

*Mohesh P*  
Range Officers of Forests.  
-----Range.

## APPLICATION FOR THE ADVANCE OF

(23)

Rs. .... FOR CURRENT EXPENDITURE.

From. Debi Permont Nurser Competition 15-16The Range Officer of Forests,  
Manab Forest Range.

To.

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDININAGAR FOREST DIVISION

Sir

I have the honour to request the favour of your advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work	Amount Sanctioned	Amount Available	Amount Proposed be spent now
<u>Pibor Permont Nurser Competition</u>	2	3	4
1. Prick-outs Transplanting with watering			037,486.00
2. Hoeing & weeding etc			1,87,430.00
3. Rasainick khas etc			020,534.00
4. Diesel Mobil Pump Repair			045,185.00
5. Petty bags Replenish Sheet			020,582.00
6. Protection			068,411.95
7. Other expenses water Tank etc			015,622.90
8. Room Blower Tools etc			010,430.30
			<u>4,05,797.15</u>

I request that have a cash balance or Rs. ....

advance will be submitted.

in my hand to day in receipt of the amount of the usual

(उपरोक्त कार्य 2015-16 में चलाया गया है।)  
आदेश-प्राप्त आला 29.07.16 में  
जलका मुजरा  
वकाफा ए  
अ. 0. 3. 2016

Your's faithfully

Mahesh Prasad 20.09.03

Range Officers of Forests.

Manab Range.

Memo No. .... / Dated .....

has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. .... dated .....

(Rs. ....) The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

Divisional Forest Officer

MEDININAGAR FOREST DIVISION

Received Cheque No-A/ ..... Dated .....  
Rs. .... onlyMahesh Prasad  
16.3.16

Range Officers of Forests.

Manab Range.

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू ब्याघ्र आरक्ष प्रमंडल।

पत्र संख्या 1313 मेदिनीनगर, दिनांक 24-08-2015

प्रेषक

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, पलामू ब्याघ्र आरक्ष।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमंडल।

विषय:-


कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि कैम्पा योजना से संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज, मनातू एवं डालटनगंज वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा माह दिसम्बर, 2014 से जुन, 2014 तक के समर्पित लेखा के पारित करने की दिशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्र द्वारा कर्णांकित योजनाओं में किये गये राशि का व्यय प्रमाणकों की योग्यता एवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गयी। त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं है।

अतः पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्रों के लेखा में पाई गई त्रुटि की बिन्दुवार विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपत्ति के बिन्दुओं से वन क्षेत्र पदाधिकारी को अवगत कराते हुए लेखा में आवश्यक सुधार कर त्रुटि रहित लेखा एक सप्ताह के अंदर संधारण हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित किया जा सके। यह भी सूचित करना है कि यदि संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मामले पर यथा समय संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण प्रमाणको को रद्द करते हुए शेष लेखा पारित करने की कार्रवाई के लिए संबंधित कैम्पा प्रभारी सहायक को निदेशित किया गया है।

विश्वासभाजन,

  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, पलामू ब्याघ्र आरक्ष।

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू ब्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल।

पत्र संख्या.....1313 मेदिनीनगर, दिनांक 24-08-2015

प्रेषक

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, पलामू ब्याघ्र आरक्ष।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

विषय:-


कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि कैम्पा योजना से संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज, मनातू एवं डालटनगंज वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा माह दिसम्बर, 2014 से जुन, 2014 तक के समर्पित लेखा के पारित करने की दिशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्र द्वारा कर्णांकित योजनाओं में किये गये राशि का व्यय प्रमाणकों की योग्यता एवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गयी। त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं है।

अतः पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्रों के लेखा में पाई गई त्रुटि की बिन्दुवार विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपत्ति के बिन्दुओं से वन क्षेत्र पदाधिकारी को अवगत कराते हुए लेखा में आवश्यक सुधार कर त्रुटि रहित लेखा एक सप्ताह के अंदर संधारण हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित किया जा सके। यह भी सूचित करना है कि यदि संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मामले पर यथा समय संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण प्रमाणको को रद्द करते हुए शेष लेखा पारित करने की कार्यवाई के लिए संबंधित कैम्पा प्रभारी सहायक को निदेशित किया गया है।

विश्वासभाजन,

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, पलामू ब्याघ्र आरक्ष।



मनातू प्रक्षेत्र द्वारा कैम्पा योजना के समर्पित लेखा में पायी गयी त्रुटि

- ( 1. माह फरवरी, 2015 में कुल 294796.75 रू0 का लेखा संधारित है, जबकि संबंधित प्रमाणक 294796.71 रू0 का है ।
2. वन क्षेत्र पदाधिकारी को स्थायी पौधषाला के रख-रखाव मद में कुल 585518.00 रू0 क्रमशः मजदूरी 465.606.12 एवं सामग्री 119911.88 रू0 उपलब्ध कराया गया है, जबकि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी मद में 466579.45 एवं सामग्री मद में 118938.51 रू0 का व्यय किया गया है।
3. स्थायी पौधषाला में किये गये व्यय कार्य इकाइ वार स्पष्ट नहीं किया गया है।
4. मजदूरों को मजदूरी के खाता के माध्यम से किये गये भुगतान का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।
5. कोड़नी निकौनी, पटवन, जड़ों को उखाड़ना, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य के लिए माह अप्रैल से जुन तीन मजदूर, जुलाई से सितम्बर दो मजदूर एवं अक्टूबर से मार्च तीन मजदूरों को ही नियोजित किया जाना है, परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित माह फरवरी, 2015 के लेखा के प्रमाणक संख्या-01, 2, 3, 4, 5, 12 एवं 13 तथा मार्च, 15 के प्रमाणक 1, 2, 3 में उपरोक्त कार्यों के मानकों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से मजदूरों का नियोजन किया गया है।
6. संबंधित प्रमाणकों में सेवा शीर्ष अंकित नहीं किया गया है।
7. माह अप्रैल, 2014 से मई, 2014 तक सुरक्षा एवं अन्य कार्य नहीं कराया गया है, क्यों ?
8. पटवन कार्य हेतु डीजल का क्रय माह अक्टूबर, 14 एवं दिसम्बर, 14 में किया गया है। स्पष्ट है कि माह अक्टूबर के पूर्व पटवन का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्य के लिए कर्णांकित राशि का व्यय किसी अन्य मद में क्यों किया गया ?
9. वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु द्वारा कतिपय राशि की निकासी अप्रील 2015 में किया गया है परन्तु उन्होंने उक्त राशि का लेखा मार्च 2015 में ही समर्पित कर भुगतान दिखाया गया है।

*Prakash*  
24/8/15

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू।

पत्रांक 2576/

(20)



कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिका  
वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

दिनीनगर

Email: dms@forest.nic.in

Phone No-06567-277536

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वनक्षेत्र पदाधिकारी, (नाम से)  
मनातु प्रक्षेत्र।

मेदिनीनगर, दिनांक 25/8/15

विषय:- कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में।

प्रसंग:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू, व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल का पत्रांक 1313 दिनांक 24.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि कैम्पा योजना का माह फरवरी 2015 से मार्च 2015 तक के आपके द्वारा समर्पित लेखा को प्रमण्डलीय लेखा में समायोजन हेतु पारित करने पूर्व तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा अवलोकन/जांच किया गया। जांच क्रम में आपके द्वारा समर्पित लेखा के साथ संलग्न प्रमाणकों की योग्यता एवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गई है, फलतः त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना युक्तिसंगत नहीं है।

तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल सम्प्रति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र द्वारा लेखा से संबंधित त्रुटि की विवरणी की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निदेशित करना है कि लेखा से संबंधित आपत्ति बिन्दुओं का निराकरण तीन दिनों के अन्दर सुनिश्चित करें, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित करने की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके। अन्यथा आपके द्वारा समर्पित लेखा से संबंधित प्रमाणकों को अमान्य करते हुए आपके पक्ष में अवशेष दर्ज कर लिया जाएगा।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

25/8/15

1. माह फरवरी, 2015 में कुल 294796.75 रु0 का लेखा संधारित है, जबकि संबंधित प्रमाणक 294796.71 रु0 का है।

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी को स्थायी पौधशाला के रख-रखाव मद में कुल 585518.00 रु0 क्रमशः मजदूरी 465.606.12 एवं सामग्री 119911.88 रु0 उपलब्ध कराया गया है, जबकि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी मद में 466579.45 एवं सामग्री मद में 118938.51 रु0 का व्यय किया गया है।

3. स्थायी पौधशाला में किये गये व्यय कार्य इकाई वार स्पष्ट नहीं किया गया है।

4. मजदूरों को मजदूरी के खाता के माध्यम से किये गये भुगतान का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

5. कोड़नी निकौनी, पटवन, जड़ों को उखाड़ना, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य के लिए माह अप्रैल से जुन तीन मजदूर, जुलाई से सितम्बर दो मजदूर एवं अक्टूबर से मार्च तीन मजदूरों को ही नियोजित किया जाना है, परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित माह फरवरी, 2015 के लेखा के प्रमाणक संख्या-01,2,3,4,5, 12 एवं 13 तथा मार्च, 15 के प्रमाणक 1,2,3 में उपरोक्त कार्यों के मानकों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से मजदूरों का नियोजन किया गया है।

6. संबंधित प्रमाणकों में सेवा शीर्ष अंकित नहीं किया गया है।

7. माह अप्रैल, 2014 से मई, 2014 तक सुरक्षा एवं अन्य कार्य नहीं कराया गया है, क्यों ?

8. पटवन कार्य हेतु डीजल का क्रय माह अक्टूबर, 14 एवं दिसम्बर, 14 में किया गया है। स्पष्ट है कि माह अक्टूबर के पूर्व पटवन का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्य के लिए कर्णांकित राशि का व्यय किसी अन्य मद में क्यों किया गया ?

9. वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु द्वारा कतिपय राशि की निकासी अप्रील 2015 में किया गया है परन्तु उन्होंने उक्त राशि का लेखा मार्च 2015 में ही समर्पित कर भुगतान दिखाया गया है।

*Almishy*  
24/8/15

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू।

# चपरासी बही

टिप्पणी :- प्रतिदिन के प्रारंभ में तारीख और यदि आवश्यकता हो तो चपरासी का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखें।

किसके प्रति	संलग्नों के साथ पत्र व्यवहार की संख्या और तारीख	प्राप्तियां
(1) श्री 1 के लिए श्री...	2543, 2553 2544 25-8-15	3
(2) श्री 1 के लिए श्री...	2543, 2544 2552	Shah 24/8/15
(3) श्री 1 के लिए श्री...	2599, 2599, 2596 2591, 2592, 2597 2544, 2546, 2598 2532, 2588, 2591 2593, 2590	Bharg 27-8-15 B.O.
(4) श्री 1 के लिए श्री...	2553	Shah 25/8/15
(5) श्री 1 के लिए श्री...	2557	Shah 24/8/15



कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर  
वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

Email: dmedininesectorsdivision@gmail.com

Phone No. 0561 22234

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
मनातु प्रक्षेत्र।

मेदिनीनगर, दिनांक 30/11/15

विषय:- कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला के रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय राशि के विरुद्ध समर्पित लेखा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त संदर्भ में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला खर्च 1 हे० के रख-रखाव हेतु क्रमशः चेक सं०- 003056 दिनांक 19.01.2015 एवं चेक सं०- 003107 दिनांक 31.03.2015 द्वारा क्रमशः 321350.00 एवं 264168.00 रु० उपलब्ध कराया गया था।

उपरोक्त उपलब्ध करायी गई राशि की निकासी प्रमण्डलीय कैम्पा लेखा सं० 621202010000512 से दिनांक 21.01.2015 को चेक सं०- 003056 दिनांक 19.01.2015 की राशि 321350.00 रु० एवं दिनांक 07.04.2015 को चेक सं०- 003107 दिनांक 31.03.2015 की राशि 264168.00 रु० हुई हैं। संबंधित राशि के विरुद्ध व्यय राशि का आपके द्वारा माह फरवरी 2015 एवं मार्च 2015 में लेखा संधारित कर समर्पित किया गया। प्रमण्डल द्वारा आपके पक्ष में निर्गत चेक सं०- 003107 दिनांक 31.03.2015 की राशि की निकासी आपके द्वारा प्रमण्डलीय कैम्पा लेखा से दिनांक 07.04.2015 को की गई है फलतः उक्त राशि का व्यय माह मार्च 2015 में ही किये जाने पर तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा आपति दर्ज करते हुये माह मार्च 2015 को आपके द्वारा समर्पित लेखा के प्रमाणकों को पारित नहीं किया गया। विषयक मामले में तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा की गई आपति से आपको इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.08.2015 द्वारा अवगत कराते हुये त्रुटि का निराकरण हेतु निदेशित किया गया।

खेद के साथ सूचित करना है कि आपके स्तर से बरती गई वित्तीय अनियमितता को गम्भीरता से नहीं लिया गया तथा वर्तमान तिथि तक स्थिति यथावत है।

वेन

ज्ञातव्य हो कि आपके द्वारा माह मार्च 2015 के समर्पित लेखा के साथ समर्पित प्रमाणको को पारित करने की कार्रवाई नहीं करते हुये प्रमण्डलीय लेखा तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा संधारित एवं पारित किया जा चुका हैं आपके द्वारा माह मार्च 2015 के समर्पित लेखा में पायी गई त्रुटि के कारण तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

उपरोक्त स्थितियों में आपके विरुद्ध कुल 290721.25 रु0 की राशि का लेखा पारित नहीं होने के कारण उक्त राशि आपके पक्ष में रोकड़ शेष के रूप में यथावत है जो आपसे वसूलनीय है।

अतः आप स्पष्ट करें कि गलत ढंग से लेखा का संधारण कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को अंधकार में रख कर लेखा पारित करने हेतु क्यों समर्पित किया गया? क्यों नहीं समुचित राशि का व्यय को अमान्य करते हुये उक्त राशि आपसे वसूल कर गलत लेखा संधारण कर नियंत्री पदाधिकारी को गुमराह करना एवं विषयक मामले के संदर्भ में सूचित किये जाने के बावजूद भी गम्भीरता से त्रुटि का निराकरण न करने के लिए आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जाय? विषयक संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा उल्लेखित कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर  
21/3/15

21/3/15

# चपरासी बही

टिप्पणी : प्रतिदिन के प्रारंभ में तारीख और यदि आवश्यकता हो तो चपरासी का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखें।

किसके प्रति	संलग्नों के साथ पत्र व्यवहार की संख्या और तारीख	प्राप्तियाँ
1	2	3
1) श्री 1 के लिए मार्ग	3492 3495	31/12/15 01/12/15
2) श्री 2 के लिए मार्ग	3492	30/11/15
3) श्री 3 के लिए मार्ग	3492 3501	01/12/15
4) श्री 4 के लिए मार्ग	3492	30/11/15
5) श्री 5 के लिए मार्ग	3492, 3502 3496	01/12/15

वन विभाग, झारखण्ड - मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर ।


कैम्पा योजना के तहत माह- मार्च, 2016 में ठीकेदार और संवितरक के खाते में की गई प्रविष्टियों का सार ।

क्र.सं.	नाम और पद	कार्य	विभाग का देना			विभाग का पावना				देय शेष		किस मास से शेष बची पड़ा है ?	
			पिछले मास का देय शेष	रोकड़-बही की बिकलन मदों की संख्या	इस मास में की गई नगद वस्तु अथवा की गई आपूर्ति या किए गए कार्य का मूल्य	जोड़	पिछले मास से चला आ रहा बकाया	रोकड़ बही की आकलन मदों की संख्या	इस माह में किए गए भुगतान	जोड़	ठेकेदार- द्वारा संवितरक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sri A. K. Singh, R.O.F. Chhatrapur, East Range	0	0.00	0	582646.00	582646.00	0.00	0	1140777.00	1140777.00	558131.00		0
2	Sri Binod Kumar Vishwakarma, R.O.F. Kurdi	0	0.00	0	2054125.63	2054125.63	509606.26	0	1947113.00	2457319.26	403193.63		0
3	Sri Mahesh Prasad, R.O.F. Manatu Range	0	0	0	0.00	0.00	290721.25	0	485797.00	776518.25	776518.25		0
4	Sri J.P. Thakur, R.O.F. Patan	0	0.00	0	1188987.25	1188987.25	282743.70	0	2058490.00	2341233.70	1152246.45		0
5	Sri Biriya Bhagal, R.O.F. Mohammadganj	0	0.00	0	0.00	0.00	559167.00	0	0.00	559167.00	559167.00		0
6	Sri Kumar Narendra, R.O.F. Chainpur	0	0.00	0	549462.72	549462.72	1187212.00	0	1198355.00	2385767.00	1836304.28		0
7	Sri Vinay Kumar Bhagal, R.O.F. Daltonganj Alf.	0	0.00	0	2383132.80	2383132.80	1239406.64	0	2095072.00	3334478.64	951345.84		0
Grand Total :-			0.00	0.00	6758354.40	6758354.40	4068856.85		8926404.00	12995260.85	6236906.45		0.00

Office of the Divisional Forest Officer, Medininagar Forest Division, Medininagar.

Memo No. 2227 Dated- 08/01/16

Submitted to the Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar for information &amp; necessary action.

  
 Divisional Forest Officer,  
 Medininagar Forest Division.





कार्यालय: वन प्रमण्डल

धकारी, मेदिनीनगर वन

प्रमण्डल, मादनीनगर।

Email: dfomedininagarforestdivision@gmail.com & dfo-medininagar@gov.in

Phone No-06562-222536

पत्रांक— दिनांक—

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय:—

रबदा स्थायी पौधशाला का जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के मौखिक निर्देश के आलोक में दिनांक 18.07.2019 को रबदा स्थायी पौधशाला के निरीक्षण के क्रम में रबदा ग्राम में संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन समिति की बैठक की गयी, जिसमें ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राम एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा स्थाई पौधशाला रबदा में कार्य कराये जाने की पुष्टि की गयी जिसकी अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न। तत्पश्चात दिनांक 20.07.2019 को अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के क्रम में वन क्षेत्र प्रागण, मनातू में ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं ग्रामीणों द्वारा एक स्वर में इस बात को प्रमाणित किया गया कि वर्ष 2015-16 में वन क्षेत्र पदाधिकारी का आवास मरम्मत का कार्य यथा बली बदलना एवं सफेदी का कार्य किया गया था इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मनातू वन क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय-सह-आवास का आवंटन के अनुरूप कार्य सम्पन्न कराया गया है। जिसकी अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

मनातू प्रक्षेत्र अन्तर्गत रबदा स्थायी पौधशाला में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक पौधे उगाये यथा पौधशाला का कार्य सम्पन्न कराये गये है। इससे संबंधित कार्यालय अभिलेख अवलोकन से तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त पौधशाला संबंधित प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूचनार्थ समर्पित की जा रही है।  
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

ज्ञापांक-2679 दिनांक-25.7.2019

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर की सेवा में अनुलग्न की प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

पत्र संख्या 218/

कार्यालय:-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

प्रेषक

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
मनातू प्रक्षेत्र।

मेदिनीनगर, दिनांक 09/01/16

विषय:-कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय राशि से संबंधित समर्पित लेखा के संबंध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.8.2015 एवं 3495 दिनांक 30.11.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का निदेश करें। कैम्पा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके प्रक्षेत्राधीन स्थायी पौधशाला खर्चा के रख-रखाव हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि के व्यय के पश्चात् संधारित लेखा में पायी गयी त्रुटि से संबंधित बिन्दुओं पर इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.8.2015 द्वारा अवगत कराते हुए निराकरण हेतु निदेशित किया गया था। संबंधित मामलों में इस कार्यालय के पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अब तक संबंधित त्रुटिपूर्ण लेखा के निराकरण हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि आपके विरुद्ध त्रुटि युक्त कुल 290721.25 रु० के प्रमाणकों को तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है तथा उक्त राशि आपके पक्ष में प्रमण्डलीय लेजर में रोकड़ शेष के रूप में यथावत है।

अतः अंतिम रूप से आपको स्मारित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त राशि से संबंधित त्रुटि रहित लेखा समर्पित नहीं किया जाता है तो संबंधित राशि की वसूली आपसे करते हुए बरती गयी अनिवारिता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

account/418

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।रा.प.  
5/1/16

21


आज दिनांक 18/07/2019 को रजद्वारा ग्राम में- (1)  
संयुक्त ग्राम वन प्रबन्धन समिति का बैठक  
राजेंद्र शम वन समिति के अध्यक्ष के अध्यक्षता  
में किया गया जिसमें उपस्थित ग्रामीणों का  
हस्ताक्षर निम्नलिखित है।

राजेंद्र शम  
वन समिति अध्यक्ष रजद्वारा

- ① कामावती देवी
- ② सीता देवी
- ③ समीर देवी
- ④ ~~सुन्दर पासवान~~
- ⑤ चंचला देवी
- ⑥ ~~सुकनी देवी~~
- ⑦ सुमन्ती देवी
- ⑧ पित्रल पासवान
- ⑨ सुचिता देवी
- ⑩ लीला देवी
- ⑪ नगना देवी
- ⑫ प्रजा देवी
- ⑬ सुरेंद्र पासवान
- ⑭ ~~पन्द्रा पासवान~~
- ⑮ गन्द किशोर शम
- ⑯ राम दाशरथि
- ⑰ आशा देवी
- ⑱ ~~सुरेंद्र पासवान~~
- ⑲ गजेन्द्र पासवान
- ⑳ शम्भू कुमार
- ㉑ Ravhu Kumar
- ㉒ Mukesh Kumar
- ㉓ Raju
- ㉔ Gurdoo Kumar
- ㉕ देविन्द्र कुमार
- ㉖ Ashwini Kumar
- ㉗ सुरेंद्र पासवान
- ㉘ प्रभात पासवान
- ㉙ राजेश पासवान

उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों को एक साथ मिलाकर  
 में श्री राजेंद्र राम अथर्व 211 के वन सज्जित की  
 अथर्व में एक बड़े का आयोजन किया गया।  
 सज्जित ने एक सार में इस बात को प्रमाणित किया है  
 कि वर्ष 2016 में राजेंद्र का कार्य (मरम्मत) का  
 कार्य संपन्न हुआ था जिससे वन से हरेक व्यक्ति  
 सभी सारे वन को इसी वन की वन सज्जित का  
 सज्जित का कार्य किया गया था। प्रमाण स्वयं  
 उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपना हस्ताक्षर तथा  
 सीलिंग निम्नलिखित दिया।

राजेंद्र राम अथर्व  
 (1) अथर्व 211 के वन प्रबंधन  
 सज्जित रखा

- (2) ईशपाद
- (3) रिम भद्र
- (4) प्रदीप
- (5) विशेष रंजन
- (6) लाली कन
- (7) जितेंद्र कुमारी
- (8) सुनील कुमारी
- (9) मनोज उरैव
- (10)  सुनील उरैव
- (11) विरेंद्र यादव
- (12) विजय यादव
- (13) सुनील कुमार

- 30) राजेश पांडव  
राजेश
- 31) प्रदीप पांडव
- 32) रीता देवी
- 33) गणेश चाम
- 34) प्रदीप राम

समिति प्रमाणित करती है कि वर्ष  
2015-16 में स्वामी पौधशाला खदा  
ग्राम में बृकआउट, कौड़नी निकोनी, सुरक्षा  
आदि सभी कार्य सम्पन्न किया गया था  
और आज की तिथि में कोई भी मजदूरी भुक्तान  
पंक्ति नहीं है।

राजेश पांडव  
वन समिति अध्यक्ष  
खदा, मनात

प्रदीप  
वन प्रमंडल पर्यावरण  
मन्त्री कार्यालय वन प्रमंडल, मेरठ

गंगा प्रमंडल प्रभुत्व प्रमाणपत्र 2011-12 से 2015-16 तक वर्षवार पौधों की बिक्री एवं विभागीय कार्यों में खपत से प्राप्त राजस्व का विवरणी।

वर्ष	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थायी पौधशाला का नाम	पौधशाला का रकबा हे०	विगत वर्ष का अवशेष पौधा	बालू वर्ष में तैयार किये गये पौधे	अन्य क्षेत्र प्रमण्डल से प्राप्त पौधे	कुल उपलब्ध पौधे	विभागीय उपयोग में लाये गये						विक्री किये गये		अन्य क्षेत्र प्रमण्डल को	कुल खपत पौधे	अवशेष पौधे	प्राप्त राजस्व	चलान तथा जमा किया गया कुल राजस्व
									निःशुल्क	मुगतान करके @ 1.57 प्रति पौधा की दर	प्राप्त राजस्व	पौधों की संख्या	प्राप्त राजस्व	प्राप्त राजस्व	प्राप्त राजस्व						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2011-12	पलामू	मानसू	खदा	1 हे०	20,000	100000	-	1,20,000	-	-	-	20,000	31400.00	-	20,000	1,00,000	31,400.00	दिनांक 31.03.2011 को बालान द्वारा 31400.00 रु० जमा किया गया।			
2012-13	बली	बली	बली	1 हे०	100,000	100000	-	2,00,000	-	-	-	800	1200.00	-	800	1,99,200	1200.00	चेक नं०-341, दिनांक 31.03.2012 द्वारा 1200.00 रु० जमा किया गया।			
2013-14	बली	बली	बली	1 हे०	199,200	100000	-	2,99,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2014-15	बली	बली	बली	1 हे०	299,200	100000	-	3,99,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2015-16	बली	बली	बली	1 हे०	399,200	100000	-	4,99,200	-	-	-	8,000	12,000.00	-	8000	4,91,200	12,000.00	दिनांक 15.10.2015 को वन प्रमण्डल परदाधिकारी भेदिनीनगर वन प्रमण्डल के खाला में 12000.00 रु० जमा किया गया।			

बन प्रमण्डल परदाधिकारी,  
भेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

कार्यालय:-वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमंडल ।

सेवा में,

- 1-श्री महेश प्रसाद,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
मनातू प्रक्षेत्र ।
- 2- श्री बिरिया भगत,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र ।
- 3- श्री कुमार नरेन्द्र,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
चैनपुर प्रक्षेत्र ।

मेदिनीनगर, दिनांक..... /

विषय:- माह मार्च, 2016 कैम्पा योजना का लेखा बही के आधार पर आपके पक्ष में जमा राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग:- माह मार्च, 2016 का लेखा-बही (Ledger) दिनांक 01.4.2016  
महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि मार्च, 2016 का कैम्पा लेखा-बही (Ledger) का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आपके वन अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि का कतिपय कारणों से लेखा समायोजन नहीं होने के आपके पक्ष में अवशेष राशि परिदर्शित हो रहा है, जो निम्नवत् है :-

क्र०स०	वन क्षेत्र पदा० का नाम	प्रभार क्षेत्र का नाम	समायोजन हेतु लंबित राशि	कब से लंबित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेश प्रसाद	मनातू प्रक्षेत्र	775518.25	मार्च, 2016	
2	श्री बिरिया भगत	मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र	559167.00	मई, 2015	
3	श्री कुमार नरेन्द्र	चैनपुर प्रक्षेत्र	1219077.28	अप्रैल, 2016	

उपरोक्त तालिका का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त राशि आपके पक्ष में विगत कई वर्षों से लंबित है, जो वित्तीय अनैश्वर्यमिता है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त राशि को कैम्पा के खाता में जमा के चालान की प्रति इस कार्यालय में समर्पित किया जाए, ताकि सरकारी राशि का समायोजन किया जा सके।

विश्वासभजन,

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमंडल ।

जापांक 1694 दिनांक 25/11/18

प्रतिलिपि:-कैम्पा प्रभारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
तु प्रेषित। निर्देश है कि इस तरह को कोई राशि मनरेगा, एफ0डी0ए0 अथवा  
कार्य योजना (IAP) एवं अन्यान् गद में वन क्षेत्र पदाधिकारी के पक्ष में राशि अवशेष  
जमा करने का निर्देश दिया जाए तथा प्रत्येक 15-20 दिन में राशि जमा करने हेतु  
पत्र दिया जाए।

03-11-18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।



⑤

पत्रांक- 228 दिनांक- 12/5/2

सेवा में,

- (1) श्री महेश प्रसाद,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र ।
- (2) श्री बिरिया भगत,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र ।
- (3) श्री कुमार नरेन्द्र,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र ।

विषय:- कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक- 1694 दिनांक- 03.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा में आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अतः पुनः निर्देश दिया गया है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि आपके पक्ष में लम्बित राशि कैम्पा खाता में शीघ्र जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय को समर्पित करें, ताकि राशि का समायोजन किया जा सके ।

इसे अतिआवश्यक समझें ।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकाः  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल  
॥ ५ ॥ मेदिनीनगर ।

9/2

(4)

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक-3698 दिनांक- 20/7/17

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

- (1) श्री महेश प्रसाद,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र ।
- (2) श्री बिरिया भगत,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र ।
- (3) श्री कुमार नरेन्द्र,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र ।

विषय:- कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक- 1694 दिनांक- 03.04.2017 एवं 2278 दिनांक- 12.05.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक- 20.07.2017 तक राशि कैम्पा बैंक खाता में निश्चित रूप से जमा करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है ।

अतः पुनः निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर आपके पक्ष में लम्बित राशि कैम्पा खाता में जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय को समर्पित करे अन्यथा आपके विरुद्ध विभागिय कार्यवाही का प्रारूप उच्चाधिकारी को भेज दी जायेगी ।

इसे अतिआवश्यक समझें ।

विश्वासभाजन,

20.7.17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,  
मेदिनीनगर ।

3

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक-1339 दिनांक-24/8/17

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

- (1) श्री महेश प्रसाद,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र।
- (2) श्री बिरिया भगत,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र।
- (3) श्री कुमार नरेन्द्र,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र।

विषय:-

कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि व  
कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक- 1694 दिनांक- 03.04.2017, 2278 दिनांक  
12.05.2017 एवं 3698 दिनांक-20.07.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा के आध  
पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को बैंक खाता में जमा करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार-बार  
स्मारित किया जा रहा है, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं क  
गयी।

अतः पुनः अंतिम बार स्मारित करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति  
दो दिनों के अन्दर आपके पक्ष में लम्बित राशि जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय क  
समर्पित करें, अन्यथा आपके पक्ष में लम्बित राशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़व  
आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रारूप उच्चाधिकारियों को भेज दी जायेगी।

इसे अति आवश्यक एवं अंतिम स्मार समझें।

विश्वासभाजन,

24-8-17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,  
मेदिनीनगर।

24/8/17

कार्यालय :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक 2573 दिनांक 29.07.19

प्रेषक,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू, मेदिनीनगर।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, रांची।

विषय :- श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कैम्पा योजना अन्तर्गत 776518.25 रु0 की राशि से कराये गये कार्यों का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.07.2019 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल सम्प्रति चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा, श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी सम्प्रति निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग तथा श्री महेश प्रसाद तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू सम्प्रति सेवा निवृत्त को क्षेत्रीय कार्यालय कक्ष पलामू में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में रबदा स्थायी पौधशाला तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी के आवास-सह-कार्यालय की मरम्मत हेतु निर्गत राशि का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में जांच के लिये बुलाया गया। उक्त तीनों पदाधिकारी दिनांक 19.07.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, पलामू में उपस्थित हुये। इनके अलावा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, श्री कुमार आशीष भी मौजूद थे। सर्वप्रथम श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी से लेखा के संबंध में पूछ-ताछ किया गया। श्री महेश प्रसाद, सेवा निवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र का कहना था कि उसने वित्तीय वर्ष 2014-15 का 290721.25 रु0 का लेखा सुधार कर प्रमण्डलीय कार्यालय मेदिनीनगर में समर्पित किया था। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्गत राशि 485797.00 रु0 का लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया था। इस पर तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल श्री मुण्डा एवं श्री मिश्रा का कहना था कि उसने लेखा समर्पित किया था लेकिन त्रुटिपूर्ण होने के कारण लेखा श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को सुधार कर समर्पित करने के निर्देश के साथ लौटा दिया गया, जिसे श्री महेश प्रसाद द्वारा वापस समर्पित नहीं किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा श्री महेश प्रसाद को प्रमण्डलीय पत्रांक 2576 दिनांक 25.08.2015, पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016 द्वारा

मारित किया गया, परन्तु श्री महेश प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया। इस पर श्री महेश प्रसाद इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया है।

श्री महेश प्रसाद को लेखा समर्पित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो उन्होंने लिखित में दो दिन का समय मांगा (छायाप्रति संलग्न) इस संबंध में उन्हें दो दिन का समय दिया गया, परन्तु निर्धारित अवधि में श्री महेश प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित करने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया और न ही लेखा समर्पित किया गया। उनके द्वारा केवल कैश कॉपी की छायाप्रति संलग्न करते हुये प्रतिवेदन दिया गया है, जिसके साथ भाउचर नहीं है। अतः यह लेखा मान्य नहीं है। (छायाप्रति संलग्न) इस प्रकार यह बात सिद्ध होती है कि श्री प्रसाद द्वारा लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया।

श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी सम्प्रति चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल से इस कार्यालय पत्रांक 1955 दिनांक 19.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूछा गया कि जब श्री महेश प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 का 290721.25 रु0 का लेखा समर्पित नहीं किया गया था तो उन्होंने श्री महेश प्रसाद को 485797.00 रु0 की राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में देने का क्या औचित्य था। इस पर श्री मुण्डा द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 2060 दिनांक 20.07.2019 द्वारा उत्तर समर्पित किया है (छायाप्रति संलग्न)। श्री मुण्डा द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उनका पदस्थापन झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या २०७०से० (स्था०) ०७/२०१५-३८७१ व०५० दिनांक २०.०७.२०१५ के द्वारा मेदिनीनगर वन प्रमण्डल में किया गया तथा उन्होंने २७.०७.२०१५ के अपराह्न में प्रभार ग्रहण किया। चूंकि पौधशाला का कार्य माह अप्रैल २०१५ से ही चालू था तथा प्रतिबद्ध दायित्व का सृजन पूर्व से हो रखा था। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि प्रभार ग्रहण के उपरान्त प्रमण्डल एवं प्रमण्डल में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारियों की गति विधियों को परखने एवं समझते-समझते श्री प्रसाद तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी मनातू द्वारा कुल ४०५७९७.०० रु० का सम्पोषण कार्य का प्रतिबद्ध दायित्व का सृजन कर लिया गया था।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी का मनातू स्थित आवास अत्यंत जर्जर स्थिति में था, इसकी मरम्मत अतिआवश्यक था इसलिए वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू के आवास की मरम्मत हेतु ८००००.०० रु० का चेक दिया गया था, ताकि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी को क्षेत्र मुख्यालय में रहने के लिए बाध्य किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने स्थायी पौधशाला में अवशेष पौधों को बचाने, गरीब मजदूरों की मजदूरी भुगतान, लोकहित एवं विभाग के छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी के पक्ष में २९०७२१.२५ रु० असमायोजित राशि रहते हुए कुल ४८५७९७.०० रु० चे निर्गत किया था। श्री मुण्डा द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तर्कसंगत लगता है।